(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 22 **नई दिल्ली,** 24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनलों पर आईसीडी कंटेनरों के अंतर टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/23/2007–जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ———— आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2009 के 12वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) में आईसीडी कंटेनरों के अंतर टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों (आईटीआरएचओ) के लिए प्रभारों के निर्धारण से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2008 द्वारा जेएनपीटी में रु0 400 प्रति टीईयू की आईटीआरएचओ दर की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 तक बढ़ाया था और जेएनपीटी को 15 नवम्बर, 2008 तक आईटीआरएचओ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी थी।

3. जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2008 द्वारा निम्नलिखित मुख्य निवेदन किए हैं:–

(i). जून, 2008 से अक्तूबर, 2008 तक मिश्रित कंटेनर प्रहस्तन के ब्योरे निम्नवत् हैं:–

महीना	जेएनपीटी पर प्रहस्तित टीईयू		
	कुल	मिश्रित	मिश्रित का %
जून 2008	85424	22236	26.03%
जुलाई 2008	97434	23613	24.23%
अगस्त 2008	91272	24836	27.21%
सितम्बर 2008	92560	32940	35.59%
अक्तूबर 2008	87214	32103	36.81%
औसत	90780	27146	**29.90%**

(ii). जैसाकि जुलाई 2008 में निवेदन किया गया था, जेएनपीटी प्रत्येक गतिविधि अथवा प्रदत्त सेवाओं के लिए पृथक गतिविधि–वार लागत व्यवस्थित नहीं करता है।

(iii). जेएनपीटी ने टीएएमपी को अपना प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें कंटेनर संबंधित प्रशुल्क में 18 प्रतिशत की वृद्धि की माँग की गई है। इस प्रस्ताव में कंटेनर टर्मिनल से संबंधित लागत और आय के ब्योरे दिए गए हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2007–08 से संबंधित आईटीआरएचओ शामिल किया गया है।

(iv). दरमान के सामान्य संशोधन के अपने तत्संबंधी प्रस्तावों में जेएनपीटी, न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) और गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरों को प्रभावी किए जाने के पश्चात आईटीआरएचओ के प्रशुल्क को 31 दिसम्बर, 2008 के बाद वसूल किया जाना जारी रखा जाए।

4. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रु0 400/– प्रति टीईयू की दर लागत ब्योरों के आधार पर समीक्षा अधीन थी। इस प्राधिकरण ने अपने आदेशों दिनांक 28 जून 2007, 28 जनवरी 2008, 22 अप्रैल 2008 और 30 सितम्बर 2008 द्वारा जेएनपीटी को लागत विश्लेषण के साथ विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी थी।

5. जेएनपीटी ने अपने दरमान की समीक्षा के लिए हाल ही में दाखिल किए गए अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में अपने टर्मिनल और अन्य दो निजी प्रचालकों द्वारा प्रचालित कंटेनर टर्मिनलों पर आईटीआरएचओ की वसूली के लिए एकसमान दर प्रस्तावित की है। इसके प्रचालनों की लागत के आधार पर जेएनपीटी के दरमान में अनुमोदित (की जाने वाली) आईटीआरएचओ की दर अन्य कंटेनर टर्मिनलों पर लागू नहीं होगी। चूँकि जेएनपीटी ने आईटीआरएचओ के लिए एकसमान दर का प्रस्ताव किया है, इस प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2009 द्वारा जेएनपीटी को सलाह दी थी कि रेल द्वारा चालित आईसीडी कंटेनरों के अतिरिक्त संचलन के लिए प्रचालनों के मानक लागत के आधार पर जेएनपीटी, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल पर प्रभार्य आईटीआरएचओ के लिए एकसमान दर हेतु पृथक प्रस्ताव दर विश्लेषण और दस्तावेज़ी साक्ष्य के साथ 20 फरवरी, 2009 तक दाखिल किया जाए।

आईटीआरएचओ के लिए एकसमान दर निर्धारित करने हेतु जेएनपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण ने रु0 400/– प्रति टीईयू की मौजूदा दर की वैधता को 30 अप्रैल, 2009 तक अथवा जेएनपीटी से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष